न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–टि.ए. 35/2019
पंजीयन दिनांक 12.12.2019

शंकरलाल पिता डालू जाति जाट निवासी बल्दरखा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

बनाम –अपीलांट

(1). यूनियन ऑफ इण्डिया जरिये प्रबन्धक, पश्चिम मध्य रेलवे नई दिल्ली।
(2). जनरल मैनेजर, पश्चिम मध्य रेलवे चर्चगेट, मुम्बई महाराष्ट्र।
(3). रेलवे स्टेशन अधीक्षक, पश्चिम रेलवे स्टेशन, चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 52/2010 निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.05.2018

उपस्थित वक्त बहस–(1). विजय जैन–अधिवक्ता अपीलांट
(2). सम्पत कुमार जणवा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3

निर्णय

दिनांक 29.09.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 कब्जेयाबी कृषि आराजीयात के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ब्लदरखा तहसील चित्तौड़गढ़ की स्थित वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 337/2 रकबा 0.79 हैक्टेयर जिसके संशोधित आराजी संख्या 337 मी रकबा 0.79 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण मेड पाली हाकने व घास काटने का विवाद करने पर वादीगण ने माननीय न्यायालय मे पत्थरगढी का दावा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध पेश किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 29.05.2009 को उपरोक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी की गई जिसमे ग्राम बल्दरखा की आराजी संख्या 337/2 संशोधित आराजी संख्या 337

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रकबा 0.79 हैक्टेयर कृषि भूमि की पूर्वी दिशा की 0.25 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों व नौकरों ने दिनांक 01.05.2009 को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया इसलिए वादीगण को यह कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अन्त मे मौजा बल्दरखा की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात की पूर्वी दिशा की 0.25 हैक्टेयर कृषि भूमि की कब्जेयाबी की डिकी प्रदान की जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादीगण अपीलांट को सुपुर्द कराये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से जवाबदावा , विशेष आपत्तियां व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता वादी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम व विशेष आपत्तियों का जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। उभय पक्षकारान की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वाद के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब अधिवक्ता वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किया गया दिनांक 30.08.2012 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी पर बहस सुनी जाकर विवादित कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने बाबत तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किये जाने हेतु आदेशित किया जाकर पत्रावली वास्ते बइन्तजार मौका रिपोर्ट नियत की गई। इस प्रकार पत्रावली वास्ते बइन्तजार मौका रिपोर्ट नियत थी जिसे दिनांक 08.05.2018 को लोक अदालत कैम्प आवंलहेड़ा मे नियत की जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र वादी अपीलांट द्वारा विड्रो किया जाना बताते हुए वादपत्र विड्रो मे निर्णित कर दिया ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने प्रथम अपील इस न्यायायल मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से जवाबदावा , विशेष आपत्तियां व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता वादी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम व विशेष आपत्तियों का जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चाता पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। उभय पक्षकारान की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वाद के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब अधिवक्ता वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किया गया । दिनांक 30.08.2012 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी पर बहस सुनी जाकर विवादित कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने बाबत तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किये जाने हेतु आदेशित किया जाकर पत्रावली वास्ते बइन्तजार मौका रिपोर्ट नियत की गई। इस प्रकार पत्रावली वास्ते बइन्तजार मौका रिपोर्ट व वास्ते साक्ष्य व जिरह हेतु नियत थी जिसे दिनांक 08.05.2018 को लोक अदालत कैम्प आवंलहेड़ा मे नियत की जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र वादी अपीलांट द्वारा विड्रो किया जाना बताकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र विड्रो मे खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जबकि वादी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र विड्रो किये जाने के संबंध मे कोई लिखित प्रार्थना पत्र वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस प्रकार की कोई लिखित सहमति वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत की गई है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.05.2018 मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थिति के रूप मे अपीलांट वादी के हस्ताक्षर भी नहीं है ऐसी स्थिति मे वादी अपीलांट की ओर से लोक अदालत कैम्प आवंलहेडा मे उपस्थित होना व वादपत्र विड्रो हेतु निवेदन किया जाना स्पष्ट नही होकर संदेहास्पद है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट को लोक अदालत कैम्प आवंलहेडा मे उपस्थित होना बताकर एवं वादी अपीलांट की ओर से वादपत्र विड्रो किया जाना बताकर वादपत्र विड्रो मे खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट वादीगण की ओर से कृषि आराजीयात के कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा, विशेष आपत्तियां व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की व पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की। वाद के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया। जिस पर उभय पक्षकारान को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ कमिश्नर से मंगवाये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया। उक्त पत्रावली विवादित कृषि आराजीयात के मौका रिपोर्ट के इन्तजार मे नियत थी व प्रकरण लोक अदालत मे नियत किया गया जिसमे अपीलांट वादी स्वयं ने अपना वादपत्र विड्रो कर लिया जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र को विड्रो मे निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। विड्रो आदेश के विरूद्ध अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है। विड्रो आदेश के विरूद्ध अपीलांट वादी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से जवाबदावा , विशेष आपत्तियां व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता वादी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम व विशेष आपत्तियों का जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। उभय पक्षकारान की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वाद के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब अधिवक्ता वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किया गया । दिनांक 30.08.2012 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी पर बहस सुनी जाकर विवादित कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने बाबत तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किये जाने हेतु आदेशित किया जाकर पत्रावली वास्ते बइन्तजार मौका रिपोर्ट नियत की गई। इस प्रकार पत्रावली वास्ते बइन्तजार मौका रिपोर्ट व वास्ते साक्ष्य जिरह हेतु नियत थी। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था परन्तु पत्रावली दिनांक 08.05.2018 को लोक अदालत कैम्प आवंलहेड़ा मे रखी जाकर बिना किसी लिखित सहमति व राजीनामे के वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र वादी अपीलांट द्वारा विड्रो किया जाना बताते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र विड्रो मे खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जबकि वादी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र विड्रो किये जाने के संबंध मे कोई प्रार्थना पत्र वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस प्रकार की कोई लिखित सहमति वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत की गई है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.05.2018 मे उपस्थिति के रूप मे अपीलांट वादी के हस्ताक्षर भी नहीं है ऐसी स्थिति मे वादी अपीलांट की ओर से लोक अदालत कैम्प आंवलहेडा मे उपस्थित होना व वादपत्र विड्रो हेतु निवेदन किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट को लोक अदालत कैम्प आवंलहेड़ा मे उपस्थित होना बताकर एवं वादी अपीलांट की ओर से वादपत्र विड्रो किया जाना बताकर वादपत्र विड्रो मे खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 52/2010 निर्णय व आदेश दिनांक 08.05.2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सनुवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पत्रावली मे पारित आदेश की पालना मे विवादित कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

3 राजीयात की मौका रिपोर्ट तलब की जाकर , आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए, गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 02.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)